संख्या- 349/ 2024 / 2887 / चार-2024-1799300

प्रेषक,

रवीन्द्र कुमार-।,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 04अक्टूबर, 2024

विषय:- अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी 'पद्मश्री' बाबू के0डी0 सिंह के पैतृक आवास को अधिग्रहीत कर स्मृति संग्रहालय बनाये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक अपने पत्र संख्या-540/उ0प्र0सं0नि0- 5(155)/2024-25, दिनांक 23 सितम्बर, 2024 व पत्र संख्या- 535/उ0प्र0सं0नि0-5(155)/2024-25 दिनांक 20 सितम्बर, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी 'पद्मश्री' बाबू के0डी0 सिंह के पैतृक आवास को अधिग्रहीत कर स्मृति संग्रहालय बनाये जाने हेतु पैतृक आवास को संस्कृति विभाग, उ0प्र0 के पक्ष में आवंटित किये जाने हेतु आवास/ भूमि की कुल मालियत रू0 14,33,20,000.00 पर 01 प्रतिशत निबन्धन शुल्क रू0 14,33,200.00 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने तथा परियोजना हेतु कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में शासन के पत्र संख्या- 2887/चार-2024-1799300 दिनांक 03.10.2024 को अवक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अन्तर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी 'पद्मश्री' बाबू के0डी0 सिंह के पैतृक आवास को अधिग्रहीत कर स्मृति संग्रहालय बनाये जाने हेतु विस्तृत आगणन तैयार किये जाने हेतु यू0 पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 (यू0पी0पी0सी0एल0) को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।

3. 'पद्मश्री' बाबू के0डी0 सिंह के पैतृक आवास को संस्कृति विभाग, उ0प्र0 के पक्ष में आवंटित के संबंध में निबन्धन शुल्क पर होने वाले व्यय रू0 14,33,200.00 (रू0 चौदह लाख तैंतीस हजार दो सौ मात्र) की प्रस्तावानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हुए धनराशि निर्गत करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
5. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

6. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संग्रहालय निदेशालय का होगा।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
8. प्रश्नगत स्वीकृति उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ का होगा।
9. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।
10. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

4. उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -2205- कला एवं संस्कृति-107- संग्रहालय- 03- अधिष्ठान व्यय -42- अन्य व्यय (उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय) मद के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/ दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रवीन्द्र कुमार-।
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ।
7- आहरण एवं वितरण अधिकारी- संग्रहालयाध्यक्ष, लोक कला संग्रहालय, लखनऊ।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रवीन्द्र कुमार-।
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।